न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 35/2018

बउनवानः–

1. हेमराज पुत्र
2. जोधराज पुत्र
3. चन्द्रप्रकाश पुत्र
4. सुगना बाई पुत्री
5. सुल्तान बाई पत्नि

} हजारीलाल जाति मीणा निवासी जारेला तह0 मांगरोल जिला बारां

..प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते पूर्ति किए जाने रकबा अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

वकील प्रार्थीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 12.12.2018

निर्णय दिनांक : 14.12.2020

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075–78 ग्राम जारेला में प्रार्थीगण के हाल खाता कमांक 114 में आराजी खसरा नं0 31 रकबा 1.34 है0, खसरा नं0 67 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 78 रकबा 3.38 है0, खसरा नं0 172 रकबा 0.39 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 6.07 है0 दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्णित आराजी के हाल सेटलमेंट से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 12 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 105 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा व [खसरा] नं0 59 रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा है जो की खातेदार हजारीलाल पुत्र किशनलाल मीणा निवासी जारेला की जमाबंदी सम्वत [illegible]40 में दर्ज हो रही है। हाल खाते में दर्ज आराजी 6.07 है0 व साबिक खाते में दर्ज आराजी 26 बीघा [illegible] बिस्वा देखने से ही स्पष्ट है कि दौराने सेटलमेंट राजस्व कार्मिको ने प्रार्थीगण की आराजी लगभग 3 बीघा 4 बिस्वा कम करके खाते में 6.07 है0 दर्ज की है। हाल खसरा नं0 67 रकबा 0.56 है0 व खसरा नं0 78 रकबा 3.38 है0 के साबिक खसरा नं0 मिन 59 रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा है। वर्तमान व गत रकबे की तुलना करने पर सेटलमेंट के बाद प्रार्थीगण के खाते मे 2 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 0.36 है0 आराज कम करके दर्ज की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:28:54 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार हाल खसरा नं0 172 रकबा 0.39 है0 ग्राम जारेला के साबिक खसरा नं0 115 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा था हाल व गत रकबो की तुलना करने से सेटलमेंट कर्मचारियों ने प्रार्थीगण की आराजी 1 बीघा 16 ऐयर कम करके खाते दर्ज की है। ग्राम काशीपुरा तह0 मांगरोल की वर्तमान जमबंदी में प्रार्थीगण के खसरा नं0 68/196 रकबा 0.89 है0 दर्ज हो रहा है। जबकि साबिक जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता हजारीलाल के खसरा नं0 मिन 107 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा दर्ज हो रहा है। सेटलमेंट कर्मचारियों ने प्रार्थीगण का 2 बीघा अर्थात 0.32 है0 आराजी कम करके खाते दर्ज की है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाता संख्या 114 नया ग्राम जारेला में दर्ज आराजी खसरा नं0 67 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 78 रकबा 3.38 है0 में कमी रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा यानी 0.32 है0 पूरा किया जाकर खाते में इन्द्राज फरमावे। खाता संख्या 114 ग्राम जारेला में दर्ज खसरा नं0 172 रकबा 0.39 है0 में कमी रकबा 0.16 है0 यानी 1 बीघा पूरा किया जाकर 0.55 है0 खाते दर्ज किया जावें। ग्राम काशीपुरा की खाता संख्या 87 नया में दर्ज खसरा नं0 68/196 रकबा 0.89 है0 में कमी रकबा 0.32 है0 अर्थात 2 बीघा पूरा किया जाकर खाते दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2020/3725 दिनांक 11.09.2019 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम जारेला की जमाबंदी सम्वत 2037–40 के खाता संख्या 67 पर खसरा नं0 14 रकबा 10.15 है0, खसरा नं0 105 रकबा 3.10 है0, खसरा नं0 59 रकबा 26.17 है0 किता 3 रकबा 41 बीघा 2 बिस्वा के खातेदार हजारीलाल पुत्र किशनलाल जाति मीणा सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड था बाद सेटलमेंट जमाबंदी के खाता संख्या 81 पर खसरा नं0 31 रकबा 1.74 है0, खसरा नं0 78 रकबा 3.38 है0, खसरा नं0 151/271 रकबा 1.00 है0 कुल किता 3 रकबा 6.12 है0 भूमि हजारीलाल पुत्र किशनलाल, हेमराज, जोधराज, चन्द्रप्रकाश पुत्र हजारीलाल मीणा सा0 देह के नाम दर्ज हुई इस प्रकार ग्राम जारेला में गत रकबा 41 बीघा 2 बिस्वा का बाद सेटलमेंट 6.58 है0 दर्ज होना चाहिए था लेकिन 6.12 है0 दर्ज होने से 0.46 है0 कम दर्ज हुआ है। इसी प्रकार ग्रा[illegible] की जमाबंदी सम्वत 36–39 के खाता संख्या 46 पर खसरा नं0 107/1 रकबा 6.10 है0 दर्ज रेकार्ड [illegible] सेटलमेंट में इसका रकबा हाल खसरा नं0 68/196 रकबा 0.89 है0 रकबा दर्ज हुआ। जिसे 1.04 है0 दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार गत की तुलना में 0.15 है0 रकबा कम दर्ज हुआ है। लेकिन समीपवर्ती खातेदारान के रकबे में वृद्धि नही हुई है अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:28:54 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह तो जाहिर किया है कि सेटलमेंट के बाद रकबे में कमी हुई है परन्तु यह स्पष्ट नही किया है कि किस खसरा नम्बरान में रकबा बढा है और ना ही यह स्पष्ट किया है कि

किस खसरा नम्बर में रकबे की कमी की जाकर प्रार्थी के रकबे में हुई कमी की पूर्ति की जावें। पत्रावली में संलग्न अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जवाब के अनुसार समीपवर्ती खातेदारान के रकबे में वृद्धि नही हुई है जिस कारण रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:28:54 IST
Reason: SelfAttested